पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1 मुख्यालय
बिहार राज्य ईलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉलोनी,
टी.आर.डब्लू सेंटर के नजदीक, पोस्ट + थाना – शास्त्रीनगर

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना – 800 023

संदर्भ सं.: PG/ER-I/RHQ/RTI-285/2021-22 दिनांक : 19.01.2022

सेवा में,

श्री रामुदगार सिंह,
पारसारमा परसोनी,
बरैल के नजदीक, सुपौल,
सुपौल, पिन नं. 852110 (बिहार)
मोबाईल नं. : 91-8210299924

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत माँगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महाशय,

आपके द्वारा **ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन Request Ref. No . : RTI/2021-22/20921 एवं RTI MIS Ref. No. PGCIL/R/E/21/00506 दिनांक 22.12.2021** जो आर.टी.आई. अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1, पावरग्रिड, आर.टी.आई., पटना-23 को अग्रसारित किया गया था, जो पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1 आर.टी.आई. विभाग, पटना को दिनांक 03.01.2022 को प्राप्त हुआ था, का संदर्भ लेंगे । । आपके आवेदन को सूचना/उत्तर प्राप्ति हेतु संबंधित उपकेंद्र को अग्रसारित किया गया था । संबंधित उपकेंद्र द्वारा आपके द्वारा माँगी गयी सूचना का उत्तर दिनांक 18.01.2022 को प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ अनुलग्नक- । के रूप में संलग्न कर आपको अग्रसारित किया जा रहा है ।

First Appellate Authority Address :-

Executive Director, Eastern Region -I
Power Grid Corporation of India Ltd.
BSEB Board Colony, Near TRW Centre,
AT + PO : Shastri Nagar, Patna – 800023 (BIHAR)

सधन्यवाद,

भवदीय

19/01/2022

(एम.क्यू. हुदा)
मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) सह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पूर्वी क्षेत्र-1

अनुलग्नक – I

क्र० सं ०	मांगी गयी सूचना	उपलब्ध सूचना
1.	I want to know that how much compensation sanctioned to me and who sanctioned the compensation, please give me the right information on document to me.	1. भारत सरकार के विद्युत् अधिनियम -- 2003 की धारा – 164 में प्रदत्त शक्तियों एवं भारत सरकार के गजेट में प्रकाशित दिनांक: 24.12.2003 के आदेश द्वारा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिट (भारतसरकार का उपक्रम) को भारतीय तार अधिनियम – 1885 के भाग – 3 के अंतर्गत पारेषण लाइन के निर्माण एवं रख रखाव के लिए प्राधिकृत किया गया है | 2. भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 10 के अनुसार तारयंत्र प्राधिकारी (Telegraph Authority) किसी भी स्थावर संपत्ति के नीचे, ऊपर, सहारे या आर पार लाइनों का निर्माण कर सकेगा तथा उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगा | अर्थात विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु किसी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाता है तथा निर्माण के दौरान कम से कम नुकसान हो ऐसा प्रयास किया जाता है और हितबद्ध व्यक्तियों को फसल एवं वृक्षों की क्षति का मुआवजा देने का प्रावधान है | 3. आपके वृक्षों कि छति का मुआवजा निम्न प्रकार तय किया गया है : a) लूप इन लाइन में टावर संख्या- 6/1 से 7/0 के बीच आपके काटे गए 19 वृक्षों के क्षति की मुआवजा राशि : Rs.1,10,250/- मात्र| b) लूप इन लाइन में टावर संख्या- 7/0 से 7/1 के बीच आपके काटे गए 60 वृक्षों के क्षति की मुआवजा राशि: Rs.3,20,850/-मात्र| 4. मुआवजा राशि का मूल्यांकन पावरग्रिड द्वारा बागवानी विभाग, बिहार सरकार, सहरसा से प्राप्त पत्रांक संख्या:- 74/स०नि०उ०,सहरसा दिनांक:- 05/03/2021 के आधार पर किया गया है|

18/01/22
(P. K. Singh)
Sr. GM (Saharsa).

18/1/22